मोरवन फैक्ट्री मामले में हाईकोर्ट ने स्टे वैकेट किया

शासन ने फैक्ट्री निर्माण के साथ जताई विकास और रोजगार की उम्मीद

नीमच, 6 फरवरी. नीमच जिले के मोरवन गांव में प्रस्तावित सुविधि रेयॉन्स टेक्सटाइल फैक्ट्री को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में बड़ा अपडेट सामने आया है.

इस प्रकरण में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया स्टे अब वैकेट कर दिया गया है. हालांकि न्यायालय का लिखित आदेश अभी आधिकारिक रूप से अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन को इसकी जानकारी मिल चुकी है और ऑर्डर की कॉपी कल मिलने की संभावना जताई जा रही

है. इस संबंध में एमपीआईडीसी के एडीएम राजेश राठौर ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा स्टे वैकेट कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि न्यायालय के इस निर्देश के बाद फैक्ट्री निर्माण का रास्ता साफ हो गया है और आने वाले समय में इससे क्षेत्र के विकास के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.

गौरतलब है कि 18 नवंबर को इस परियोजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैक्ट्री निर्माण पर अंतरिम रोक लगाई थी. उस समय कोर्ट ने गोचर और चरनोई भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे. इसी आदेश के चलते फैक्ट्री निर्माण कार्य रुका हुआ था. साथ ही ग्रामीणों ने फेक्ट्री निर्माण से पर्यावरणीय प्रभाव और मोरवन बांध की सुरक्षा को लेकर गंभीर आपत्तियां प्रशासन के समक्ष दर्ज कराते हुए लगातार आन्दोलन किया था. मोरवन बांध इस पूरे विवाद का केंद्र रहा है. यह बांध जावद नगरपालिका सहित आसपास के 30 से अधिक गांवों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा देता है. ग्रामीणों और किसानों को आशंका थी कि टेक्सटाइल फैक्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट यदि बांध के जल में मिला तो इससे जल प्रदूषण के साथ खेती और जनस्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

सीएमओ अनूपपुर को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

अनूपपुर . नगर पालिका अनूपपुर की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है . उद्यान (पार्क) की भूमि पर नगर पालिका भवन निर्माण के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने आदेशों की अवहेलना मानते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप कुमार झरिया को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है . प्राप्त जानकारी के अनुसार, उद्यान की भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी . मामले की सुनवाई के दौरान दिनांक 28 अप्रैल 2025 को न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर 90 दिनों के भीतर नियमानुसार कारणयुक्त (स्पीकिंग) आदेश पारित किया जाए . किन्तु आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया . न तो आवेदन पर कोई निर्णय लिया गया और न ही नियमानुसार आदेश जारी किया गया . इसके विपरीत, प्रशासन द्वारा उद्यान की भूमि पर निर्मित नए भवन का लोकार्पण एवं उद्घाटन कर दिया गया, जिससे न्यायालय के आदेशों की खुली अनदेखी सामने आई .

अमरकंटक में दिखा बाघ राहगीर ने बनाया वीडियो

- जलेश्वर क्षेत्र के आसपास वन विभाग को मिले पगमार्क
- जंगलों में बीते तीन दिनों से बाघ देखे जाने की चर्चा

अमरकंटक. मप्र के अनूपपुर जिले की विश्व प्रसिद्ध मां नर्मदा की उद्गम नगरी अमरकंटक के जलेश्वर क्षेत्र में गुरुवार-शुक्रवार की शहडोल-अमरकंटक मुख्य मार्ग पर बाघ के टहलने का वीडियो वहां से गुजर रहे कार सवार शिक्षक दंपति ने अपने मोबाइल में कैद किया हैं.

ज्ञात हो कि अमरकंटक जलेश्वर क्षेत्र और आसपास के जंगलों में बीते तीन दिनों से बाघिन की मूवमेंट देखे जाने की चर्चा है. जानकारी के अनुसार, पार्षद देवानंद खत्री के रिश्तेदार पेंड्रा (छग) निवासी शिक्षक दंपति ने जलेश्वर से घाट उतरते समय मार्ग पर सड़क पार करता बाघ को सड़क पर चलते और फेंसिंग पार करने की कोशिश करते देखा और कार से ही वीडियो बनाया जिसमें एक सियार भी आसपास घूमते और आवाज करते दिखाई दे रहा है. बाघिन जंगल की ओर जाना चाह रही थी, लेकिन सड़क किनारे वन विभाग द्वारा लगाए गए कांटेदार तार के कारण वह कुछ देर तक इधर-उधर घूमती रही, इसके बाद उसने छलांग लगाकर तार पार किया और जंगल की ओर चली गई. करीब दो मिनट के इस वीडियो में बाघिन की चहलकदमी साफ देखी जा सकती है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रात में ही मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बाघ जंगल में जा चुका था. शुक्रवार सुबह की जांच में वन विभाग को मौके पर बाघ के पैरों के निशान (पगमार्क) मिले हैं.

वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरेंद्र श्रीवास्तव ने बाघ की मौजूदगी की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यह बाघ संभवत: छत्तीसगढ़ के अचानकमर टाइगर रिजर्व से भटककर अमरकंटक पहुंचा होगा. वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए मुनादी कराई जा रही है.

एक नजर में

भाजपा जिला कार्यालय पर सुनीं जनसमस्याएं

भिण्ड. भाजपा जिला कार्यालय पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में सहयोग सेल का आयोजन किया गया. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आम जनता की जन समस्याओं को गंभीरता से सुना गया. सहयोग सेल में भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया, जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह भदौरिया एवं जिला मंत्री राधा कृष्ण शर्मा ने संयुक्त रूप से जनता एवं कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना तथा प्राप्त आवेदनों को समाधान हेतु जिला प्रशासन को प्रेषित किया ताकि समस्याओं का समय-सीमा में निराकरण किया जा सके.

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया ने कहा कि सहयोग सेल का उद्देश्य जनता एवं कार्यकर्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, जिससे उन्हें इधर-उधर भटकना न पड़े और शासन-प्रशासन तक उनकी समस्याएं सीधे पहुंच सकें. वहीं जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह भदौरिया एवं जिला मंत्री राधा कृष्ण शर्मा ने बताया कि सहयोग सेल में प्राप्त सभी समस्याओं को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है, जिनका शीघ्र निराकरण किया जाएगा.

कार्यक्रम में जिला महामंत्री मनोज अनंत, जिला मंत्री बजरंग सिंह भदौरिया, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अतिराज सिंह नरवरिया, जिला कार्यालय सह-प्रभारी रोहित शाक्य, सोशल मीडिया प्रभारी मोनू नरवरिया सहित भाजपा एवं भाजयुमो के पदाधिकारी उपस्थित रहे.

टैलेंट हंट से चुने जाएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, समिति गठित

ग्वालियर, 6 फरवरी. अब कांग्रेस के प्रवक्ताओं का चयन सिफारिश नहीं, बल्कि टैलेंट हंट प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा. इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 11 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया है.

इस समिति की कमान वरिष्ठ नेता मुकेश नायक को सौंपी गई है. उनके साथ पार्टी के सक्रिय विधायक और संगठन से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी चयन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएंगे. यह फैसला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा मीडिया कमेटी को भंग किए जाने के महज दो दिन बाद सामने आया है, जिसे संगठन में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. ग्वालियर से स्वदेश आकाश, राम पांडे, धर्मेंद्र शर्मा जैसे चेहरे प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिन्हें फ़िलहाल हटा दिया गया है. टैलेंट हंट समिति में विधायक जयवर्धन सिंह, हेमंत कटारे, आरिफ मसूद, विक्रांत भूरिया और महेश परमार को सदस्य बनाया गया है. इनके अलावा प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी महेंद्र जोशी, पूर्व विधायक शैलेन्द्र पटेल, विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता, अपूर्व भार्गव और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया को भी समिति में शामिल किया गया है.इस समिति का उद्देश्य मीडिया विभाग के अंतर्गत संचालित टैलेंट हंट कार्यक्रम को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है.

अम्बेडकर की प्रतिमा खंडित होने पर बवाल

ग्वालियर, 6 फरवरी. बिलौआ में असामाजिक तत्वों द्वारा डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा खंडित कर दी गई. जब अनुयायियों को पता लगा, तो वह आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे.

सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस प प्रशासनिक अफसरों ने तुरंत नई प्रतिमा मंगवाकर उसका अनावरण करवाया, जिससे विवाद टल गया. अन्यथा माहौल बिगड़ सकता था. जानकारी के मुताबिक बिलौआ के जाटव मोहल्ला स्थित पार्क में जब वहां का चौकीदार पहुंचा, तो पार्क में लगी डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा का हाथ टूटा देख चौंक गया. इसका पता लगने पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों सहित भीम आर्मी व अन्य संगठनों के पदाधिकारी

वहां पहुंच गए. जो घटना पर आक्रोश जताते हुए आंदोलन की रूपरेखा बनाने लगे. बिलौआ टीआई इला टंडन ने सीनियर ऑफिसर्स को घटना की जानकारी दी तथा स्वयं तत्काल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचीं. जिन्होंने वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थे. उनकी मांग थी, कि उक्त कृत्य करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

जिपं अध्यक्ष के बेटे और भांजे से मारपीट

सरपंच के देवर समेत 30 लोगों ने डंडे मारे

नीमच, 6 फरवरी. नीमच के सगराना गांव स्थित गोल्ड क्रैश फैक्ट्री में जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान के बेटे और भांजे पर जानलेवा हमला कर दिया गया.

पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. शुक्रवार को इंद्रजीत सिंह और आदित्य फैक्ट्री में रेत के डंपर खाली करवाने और उसका पेमेंट लेने के लिए गए थे. इसी दौरान वहां मौजूद हमलावरों ने उन पर अचानक पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया. घटना में आदित्य के सिर और इंद्रजीत के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं.

पुरानी रंजिश और रंगदारी का मामला

जिपं अध्यक्ष सज्जन सिंह ने आरोप लगाया है कि सगराना सरपंच रानीदेवी देवर महेंद्र सिंह ने अपने 30-35 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है. उन्होंने बताया कि आरोपी महेंद्र सिंह और उसके गुट का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. इससे पहले भी इस समूह पर फैक्ट्री में रंगदारी मांगने के आरोप लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया था.

पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने दिया कांग्रेस से त्याग पत्र

रीवा, 6 फरवरी. कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी का दो साल के अंदर ही कांग्रेस से मोह भंग हो गया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को पत्र लिखकर अपना दर्द बयां करते हुए प्राथमिक सदस्यता त्याग पत्र की जानकारी दी है. अपने त्याग पत्र में श्री तिवारी ने कई कारण बताते हुए पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी और चाटूकारिता का उल्लेख करते हुए कहा कि जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व नही दिया जा रहा है. पूर्व विधायक श्री तिवारी अब किस पार्टी में शामिल होगे यह तो भविष्य ही बताएगा.

58 केन्द्रों पर होगी बोर्ड परीक्षा, सामग्री वितरित

नवभारत न्यूज

रतलाम. हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2026 जिले के 58 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी.

जिले में समन्वयक संस्था शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय रतलाम में परीक्षा को लेकर गोपनीय परीक्षा सामग्री का वितरण शुक्रवार को हुआ. अधिकारियों की मौजूदगी में सीलबंद बॉक्सों में साग्रमी को वितरित किया गया. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा 2026 के अंतर्गत जिले में समन्वयक संस्था शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय रतलाम में गोपनीय परीक्षा सामग्री का वितरण अत्यंत सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं पारदर्शी रूप से संपन्न हुआ. गोपनीय परीक्षा सामग्री का वितरण कलेक्टर प्रतिनिधि अपर कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव, समन्वयक संस्था प्राचार्य सुभाष कुमावत तथा मंडल प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया.

टीम सुधीर गुप्ता, माया मौर्या, शरद शर्मा, यशस्वी वर्मा, मनीष शर्मा, सुरेश राठौड़, प्रेमलता व्यास, ऊषा पचोरी द्वारा किया गया.

सामग्री वितरण से पूर्व सर्वप्रथम सभी केंद्राध्यक्षों, सहायक केंद्राध्यक्षों एवं रिजर्व केंद्राध्यक्षों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देशों से समन्वयक प्राचार्य सुभाष कुमावत द्वारा विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया. इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती अनीता सागर ने परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने, नियमों के सख्त अनुपालन एवं व्यवस्थित एवं निष्पक्ष संचालन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया. परीक्षा सामग्री का वितरण अत्यंत सतर्कता एवं निर्धारित मापदंडों के अनुरूप किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई तथा किसी केंद्र से अतिरिक्त सामग्री की मांग प्राप्त नहीं हुई.

प्रतिभाओं को निखारने का सशक्त मंच बना सांसद खेल महोत्सव

ग्वालियर, 6 फरवरी. नई दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 8वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाह ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर सहभागिता की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव सामाजिक परिवर्तन, समावेशिता, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहा है. खेल विषय पर आयोजित परिचर्चा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुए सांसद खेल महोत्सव से शहरों के साथ ग्रामीण प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने का सशक्त मंच मिला हैं.

महिला आईएएस को कोर्ट से राहत

- युगलपीठ ने सुनवाई कर आदेश पर लगाई रोक

जबलपुर, 6 फरवरी. अवमानना मामले में सजा निर्धारित किये जाने से पूर्व महिला आईएएस अधिकारी को हाईकोर्ट की युगलपीठ से राहत मिल गयी.

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आईएएस महिला अधिकारी को अवमानना का दोषी ठहराते हुए सजा निर्धारित करने शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित की थी. महिला आईएएस अधिकारी की तरफ से दायर अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी किये है. याचिका पर अगली सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित की गयी है. याचिका पर अगली सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित की गयी है. नगर निगम भोपाल के द्वारा मर्लिन बिल्डकॉन प्रा लि. कि श्यामला हिल्स स्थित नादिर कॉलोनी में स्थित उसकी 3520 वर्ग फीट में बिल्डिंग की अनुमति 28 अगस्त 2025 को निरस्त कर दी गयी थी. जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका के लंबित रहने के दौरान नगर निगम ने विगत 18 जनवरी को बिल्डिंग का एक हिस्सा तोड दिया था. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नगर निगम की कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर एक्ट के तहत पारित दिशा-निर्देश के विपरीत पाया था.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	93945715	होम लोन	17.01.2026	रु. 5,61,519.81/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. फारुख मेव 2. फरजाना बी

संपत्ति का पता: मकान नंबर 86/2 का पूरा टुकड़ा और पार्सल, कुल क्षेत्रफल 440 वर्ग फुट (40.89 वर्ग मीटर), आबादी भूमि सर्वे नंबर 203, पीएच नंबर 02 पर स्थित, गांव दिवेल, तहसील और जिला- रतलाम, मध्य प्रदेश-457001, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- शरीफ खान का मकान, पश्चिम- रईस खान का मकान, उत्तर- सजात खान का मकान, दक्षिण- सड़क.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
2.	22873565	प्रॉपर्टी के बदले लोन	27.01.2026	रु. 1,35,845.22/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. समीर खान 2. फरीदा बी

संपत्ति का पता: आवासीय प्लॉट/भूमि का पूरा टुकड़ा और पार्सल, क्षेत्रफल 1250 वर्ग फुट यानी 116.12 वर्ग मीटर, डायवर्टेड भूमि सर्वे नंबर 565/2/1 का हिस्सा, वार्ड नंबर 03, नाना साहब का बाग, जावरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश-457226 पर स्थित, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम- राशिद भाई की भूमि, उत्तर- खाल, दक्षिण- कच्ची सड़क.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
दिनांक: 7.2.2026
स्थान: रायसेन

CENTRUM Home Loans
Aao milkar ghar banaye
कॉर्पोरेट एवं रजिस्टर्ड ऑफिस: यूनिट नं. 801, सेन्ट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई- 400098,
CIN No. U65922MH2016PLC273826

कब्जा नोटिस

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के परिशिष्ट IV को नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पढ़ा जाए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण वित्तीय परिसंपत्तियों एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, और धारा 13(12) के साथ पढ़े गए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी मांग नोटिस(ओं) नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) को नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान संविदात्मक ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया है. ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है. ऋणकर्ता और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा संविदात्मक ब्याज, दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि सहित राशि के प्रभार के अधीन होगा.
ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं.

स. क्र.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम/लोन खाता नं.	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	डिमांड नोटिस की तिथि और कुल असाधारण बकाया रुपए	कब्जा ली गई तारीख
1.	UDRNM24018881 भूरा भूरा कारीबाई करीबाई	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में पी.एच.एन. 41 पर स्थित आवासीय मकान एल.एस.एन. 166, क्षेत्रफल 1014 वर्ग फुट, पंचायत एवं ग्राम- मलाहेड़ा, तहसील- मानसा, जिला- नीमच-458110, मध्य प्रदेश. सीमाएँ- पूर्व- सामान्य सड़क, पश्चिम- लड्डू पुत्र गौरीलाल का घर, उत्तर- बाबूलाल पुत्र हीरालाल का घर, दक्षिण- बिहान पुत्र दुर्गा का घर.	11-नवंबर-25/ रु. 8,12,369/- (रु. आठ लाख बारह हजार तीन सौ उनहत्तर मात्र)	4-2-2026
2.	UDRNM24016352 मदन लाल सुरवत गेंदी बाई	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में मकान संख्या 118, वार्ड संख्या 08, प्रशासनिक क्षेत्रफल 3324 वर्ग फुट, पीएचएन संख्या 01, ग्राम मलखेड़ा, तहसील- मनासा, जिला- नीमच-458110, मध्य प्रदेश. सीमाएँ- पूर्व- दलसिंह का घर, पश्चिम- सूरजमल का घर, उत्तर- स्वयं का आंगन और वकील बंजारा का घर, दक्षिण- आम रास्ता और दुलेसिंह का घर.	11-नवंबर-25/ रु. 9,45,170 (रु. नौ लाख पैंतालीस हजार एक सौ सत्तर मात्र)	4-2-2026
3.	UDRNM24018193 बाबूलाल बंजारा कलाबाई बंजारा	अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में संपत्ति, पीएचएन 41, प्रशासनिक क्षेत्रफल 1008 वर्ग फुट, भूमि सर्वेक्षण संख्या 166, ग्राम पंचायत जूना मलाहेड़ा, ग्राम- मलाहेड़ा, तहसील मनासा, जिला- नीमच-458110, मध्य प्रदेश. सीमाएँ- पूर्व- साझा सड़क, पश्चिम- अनिल और जगदीश का घर, उत्तर- साझा सड़क, दक्षिण- ईश्वर पुत्र बलराम का घर.	30-सितंबर-25/ रु. 8,27,633 (रुपयेआठ लाख सत्ताइस हजार छह सौ तैंतीस मात्र)	4-2-2026

दिनांक: 7.2.2026, स्थान: मध्यप्रदेश
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

SBFC
एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस: यूनिट नंबर 103, पहली मंजिल, C&B स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, गाँव चकाला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059

कब्जे का नोटिस

(सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

चूंकि, नीचे साइन करने वाले, SBFC फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सिक्योरिटाइजेशन, फाइनेंशियल एसेट्स का रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी इंटरेस्ट का एनफोर्समेंट एक्ट, 2002 के तहत और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े गए सेक्शन 13 (12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, नीचे बताए गए कर्जदारों/सह-कर्जदारों को डिमांड नोटिस जारी किए थे, ताकि वे नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के अंदर नोटिस में बताई गई रकम चुका दें. कर्जदार/सह-कर्जदार रकम चुकाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए कर्जदार/सह-कर्जदारों और आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे साइन करने वाले ने उक्त एक्ट के सेक्शन 13(4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, नीचे बताई गई तारीखों पर नीचे बताई गई प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लिया है. कर्जदार/सह-कर्जदारों और आम जनता को खास तौर पर चेतावनी दी जाती है कि वे प्रॉपर्टी के साथ कोई लेन-देन न करें और प्रॉपर्टी के साथ कोई भी लेन-देन SBFC फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा.

कर्जदारों के नाम और पते और डिमांड नोटिस की तारीख	संपत्ति का विवरण और कब्ज़े की तारीख	पज़ेशन नोटिस में मांगी गई रकम (रु.)
1. श्री शकील शेख (आवेदक), 2. श्रीमती नसरीन बी (सह-आवेदक 1), 3. श्री तंजील शेख (सह-आवेदक 2), पता- 11/2, वार्ड नंबर 40, मुक्ति मार्ग, देवास-455 001। और साथ ही, यहाँ भी- 1. श्री शकील शेख (आवेदक) दुकान नंबर 20 (छत की ऊँचाई तक) ग्राउंड फ्लोर पर स्थित, प्राधिकरण मार्केट, ए. बी. रोड, देवास (म.प्र.)-455 001। लोन खाता संख्या- 573014 (PR00628550) और 611127 (PR00822375) डिमांड नोटिस की तारीख- 03 नवंबर 2025	दुकान नंबर 20 (छत की ऊंचाई तक) का पूरा टुकड़ा और पार्सल, जो ग्राउंड फ्लोर पर, प्राधिकरण मार्केट, ए. बी. रोड, देवास (म.प्र.)-455 001 में स्थित है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- दुकान नंबर 19, पश्चिम- दुकान नंबर 21, उत्तर- अशोक ट्रांसपोर्ट, दक्षिण- खुला आम रास्ता. प्रतीकात्मक कब्ज़े की तारीख- 04 फरवरी 2026	रु. 1944563/- (रु. उन्नीस लाख चवालीस हज़ार पाँच सौ तिरेसठ मात्र) 03 नवंबर, 2025 तक, साथ ही 04 नवंबर, 2025 की तारीख से बिना लगाया गया ब्याज.
1. महेश पवार, 2. संतोष बाई पता- मकान नंबर 112, वार्ड नंबर 15, रज्जाक कॉलोनी, नगर परिषद बेटमा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)-453 001. लोन खाता संख्या- 4021060000329190 (PR01381792) और SBFCLAP0000121432 (PR01657355) डिमांड नोटिस की तारीख- 14 नवंबर 2025.	मकान नंबर 112, वार्ड नंबर 15, रज्जाक कॉलोनी में स्थित संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 1250 वर्ग फुट है, नगर परिषद बेटमा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.) 453001. उपरोक्त संपत्ति की सीमाएँ- पूर्व की ओर- शहीद हुसैन का मकान, पश्चिम की ओर- महेश चौधरी का मकान, उत्तर की ओर- 10 फीट रोड, दक्षिण की ओर- गली फिर अन्य संपत्ति. प्रतीकात्मक कब्ज़े की तारीख- 04 फरवरी 2026	रु. 2037235/- (रु. बीस लाख सैंतीस हज़ार दो सौ पैंतीस मात्र) 07 नवंबर 2025 तक, साथ ही 08 नवंबर 2025 की तारीख से बिना लगाया गया ब्याज.
1. मुकेश कुमार चौधरी, 2. राजेश्वरी चौधरी, पता- मकान/प्लॉट नंबर 62, स्थित पीएच नंबर 37, वार्ड नंबर 08, ग्राम आबादी क्षेत्र, क्षेत्रफल 196.28 वर्ग मीटर या 2112 वर्ग फुट, गाँव सिरखेड़ा, तहसील और जिला नीमच म.प्र.-458441। लोन खाता संख्या 4021060000328908-C (PR01368004) और 4021060000291962-C (PR01319536) और 0000058489-C (PR01553815), डिमांड नोटिस की तारीख- 07 नवंबर 2025.	हाउस/प्लॉट नंबर 62 पर स्थित प्रॉपर्टी का पूरा टुकड़ा और पार्सल, जो PH नंबर 37, वार्ड नंबर 08, ग्राम आबादी क्षेत्र, एरिया 196.28 वर्ग मीटर या 2112 वर्ग फुट, गांव सिरखेड़ा, तहसील और जिला नीमच म.प्र.-458441 में स्थित है. ऊपर बताई गई प्रॉपर्टी की बाउंड्री- पूर्व की ओर- रास्ता, पश्चिम की ओर- भीम सिंह का मकान, उत्तर की ओर- रास्ता, दक्षिण की ओर- भेरूलाल की ज़मीन. प्रतीकात्मक कब्ज़े की तारीख- 04 फरवरी 2026	रु. 1180011/- (रु. ग्यारह लाख अस्सी हज़ार ग्यारह मात्र) 06 नवंबर 2025 तक, साथ ही 07 नवंबर 2025 की तारीख से बिना लगाया गया ब्याज.
1. प्रकाशचंद्र प्रजापति (आवेदक), 2. काली बाई (सह-आवेदक) पता- मकान नंबर 167/2, PH-13, ग्राम आबादी भूमि का हिस्सा ग्राम पचोला बनहल तहसील और जिला शाजापुर म.प्र.-465 001। लोन खाता संख्या- 32047 (PR01479363) और 64010 (PR01539887) डिमांड नोटिस की तारीख- 12 नवंबर 2025	हाउस नंबर 167/2, PH-13, ग्राम आबादी ज़मीन ग्राम पचोला बनहल तहसील और जिला शाजापुर म.प्र. का पूरा टुकड़ा और पार्सल, कुल प्लॉट एरिया 2386 वर्ग फुट या 221.74 वर्ग मीटर जिस पर RRC ग्राउंड फ्लोर पर आवासीय (RCC) 1092 वर्ग फुट या 101.48 वर्ग मीटर ग्राम आबादी ज़मीन ग्राम पचोला बनहल तहसील और जिला शाजापुर म.प्र.-465 001 में स्थित है. और जिसकी बाउंड्री इस प्रकार है- पूर्व- सड़क, पश्चिम- सड़क, उत्तर- भगवान सिंह का मकान, दक्षिण- रमेश का मकान. प्रतीकात्मक कब्ज़े की तारीख- 04 फरवरी 2026.	रु. 2062217/- (रु. बीस लाख बांसठ हज़ार दो सौ सत्रह मात्र) 12 नवंबर, 2025 तक, साथ ही 13 नवंबर, 2025 की तारीख से बिना लगाया गया ब्याज.

कर्ज़दार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जिसमें सुरक्षित संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के बारे में बताया गया है.
स्थान: देवास/इंदौर/नीमच/शाजापुर
दिनांक: 07-02-2026
हस्ताक्षर/-
अधिकृत अधिकारी, SBFC फाइनेंस लिमिटेड